सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 428 राँची, गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

11 सितम्बर, 2025

संख्या-03/निबंधन स्थापना (अराजपत्रित)-60/2019 - 2415/रा0--

विषय :- निबंधन कार्यालयों में दिनांक-01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।

पूर्व में वित्त विभाग के ज्ञापांक-02, दिनांक-16.01.1979 द्वारा दिनांक- 01.04.1979 को या बाद में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये 12 अस्थायी लिपिकों को राहत प्रदान करने हेतु पेंशन नियमावली के नियम 203(क) के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन पेंशनरी लाभ जैसे पेंशन/मृत्यु-सह- सेवानिवृत्त उपादान/उपादान तथा पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया गया है ।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0-518/वि0पे0, दिनांक-09.12.2004 द्वारा दिनांक-01.12.2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को वित्त विभागीय संकल्प सं0-143/वि0पे0, दिनांक-05.09.2022 द्वारा समाप्त कर दिनांक-01.12.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गयी है ।

उक्त वित्त विभागीय संकल्प में वैसे कर्मी, जो वर्ष 1989 या इसके पूर्व से अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्यरत् थे एवं दिनांक-01.12.2004 के बाद अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाया गया हो, को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा के आधार पर पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है ।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-40/वि0पे0, दिनांक-12.03.2024 एवं संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में संपरिवर्तित किये गये कर्मियों को कार्यभारित स्थापना में बितायी गई पूरी सेवा अवधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपादान अनुमान्य किये जाने का उल्लेख है ।

4. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में वर्ष 2005-2006 में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को पेंशन/उपादान एवं अन्य सेवान्त लाभ की अनुमान्यता का प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था ।

5. पूर्व में निबंधन कार्यालयों के 12 (बारह) अस्थायी लिपिकों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005/2006 में की गई है एवं सेवानिवृत्ति वर्ष 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 है, को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत् पेंशन उपादान की स्वीकृति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची द्वारा दी गई है ।

6. अतः अवमाननावाद सं0-403/2003 में पारित आदेश के आलोक में निबंधन विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-515, दिनांक-02.09.2005 एवं आदेश सं0-238, दिनांक-05.04.2006 द्वारा क्रमशः 20 एवं 23, कुल-43 अतिरिक्त लिपिकों को अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में नियुक्त किये जाने के उपरांत निबंधन कार्यालयों के 12 (बारह) अस्थायी लिपिक को पुरानी पेंशन योजना के तहत् पेंशन/उपादान की स्वीकृति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रदान की गयी है, को छोड़कर शेष संलग्न सूची में अंकित 31 कर्मियों को, वैसे कर्मी, जो वर्ष 1989 या इसके पूर्व से अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्यरत् थे एवं वर्ष 2005-06 में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन/उपादान एवं पारिवारिक पेंशन जो अनुमान्य हो, उन्हें झारखण्ड पेंशन नियमावली-203(क) के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

7. लाभान्वित होने वाले कर्मियों की सूची निम्न है :-

सं0	अतिरिक्त लिपिक सम्प्रति नियमित अस्थायी लिपिक का नाम	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	सेवा निवृति की तिथि	अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्य हेतु संलग्न किये जाने की तिथि
1.	श्री कमल रंजन सिन्हा	अनारक्षित	10.12.1957	31.12.2017	21.11.1986
2.	श्री विमल चन्द्र बोस	अनारक्षित	10.03.1965	31.03.2025	21.11.1986
3.	श्री मो0 बसीर	अनारक्षित	16.01.1958	31.01.2018	24.12.1987
4.	श्री राज कुमार सिंह	अनारक्षित	15.01.1959	31.01.2019	04.08.1988
5.	श्री नरेश कुमार सिन्हा	अनारक्षित	31.01.1960	31.01.2020	31.12.1988
6.	श्री हैदर अली	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	25.08.1953	31.08.2013	22.05.1976
7.	श्री दिलीप कुमार सेन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18.04.1963	30.04.2023	10.12.1981
8.	श्री निमाईचन्द्र सेन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	06.07.1958	31.07.2018	22.04.1982
9.	श्री आनन्द कुमार	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05.12.1966	31.12.2026	03.05.1985
10.	श्री संजय कुमार गुप्ता	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	20.05.1964	31.05.2024	07.05.1985
11.	श्री बलराम महतो	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	26.06.1963	30.06.2023	08.05.1985
12.	श्री महेन्द्र महतो	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	06.01.1965	31.01.2025	19.11.1986
13.	श्री गगन कुमार साहु	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	10.01.1965	31.01.2025	22.11.1986
14.	श्री किशोर प्रसाद वर्मा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	10.10.1963	31.10.2023	12.12.1986
15.	श्री सूर्यदेव सिंह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	14.01.1959	31.01.2019	30.05.1987
16.	श्री मुखलाल प्रसाद यादव	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	11.08.1958	31.08.2018	05.06.1987
17	श्री श्याम सुन्दर झा	अनारक्षित	15.01.1954	31.01.2014	07.01.1975
18	श्री दीपक कुजूर	अनुसूचित जनजाति	08.02.1959	28.02.2019	19.11.1986
19	श्री लालेश्वर प्रसाद राउत	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	26.03.1951	31.03.2011	11.04.1974
20	श्रीमती रीना मुण्डा	अनुसूचित जनजाति	12.01.1964	31.01.2024	19.11.1986

21	श्री विश्वनाथ बनर्जी	अनारक्षित	01.02.1960	31.01.2019	10.12.1981
22	सुश्री दोरोथिया सोरेंग	अनुसूचित जनजाति	14.07.1962	31.07.2022	22.11.1986
23	श्री कृष्णा रंजन सहाय	अनारक्षित	03.08.1960	31.08.2020	22.03.1982
24	श्रीमती जावित्री मिंज	अनुसूचित जनजाति	05.11.1962	30.11.2022	16.06.1988
25	श्री रमेश राम मोची	अनुसूचित जाति	06.01.1965	31.01.2025	01.11.1989
26	श्रीमती अंजली शिरोमणी मिंज	अनुसूचित जनजाति	10.06.1967	30.06.2027	17.06.1988
27	श्री जागेश्वर प्रसाद सिंह	अनारक्षित	15.02.1958	28.02.2018	12.11.1983
28	श्री प्रवेश कुमार मिश्र	अनारक्षित	02.05.1963	31.05.2023	07.03.1984
29	श्री सिताराम किस्कू	अनुसूचित जनजाति	15.02.1956	29.02.2016	07.07.1991
30	श्री विपीन कुमार सिंह	अनारक्षित	12.01.1965	31.01.2025	07.05.1985
31	श्री जगदेव दास	अनुसूचित जाति	21.02.1957	28.02.2017	07.07.1991

8. उपरोक्त कंडिका-06 में वर्णित कर्मियों का मामला वित्त विभागीय संकल्प सं0-196/वि0पे0, दिनांक-19.09.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में PRAN खाताधारी उक्त कर्मियों द्वारा सरकारी अंशदान (लाभांश सहित) की राशि को सरकारी राजकोष में वापस किये जाने के उपरांत ही ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की स्वीकृति की प्राप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.09.2025 में मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ए0 दोड्डे,
सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 428 - 50